

भारीक
दफ्त

दफ्त का कार्यावाही एवं दफ्तियतक सब

21-5-46

माधुमास

पत्रावली कोट केम्प मालिकों पर
पेश। मूल वाद का निर्णय होने
से उत्पन्न - पूरा से कोई कर्षण
शेष नहीं होने से उत्पन्न - पूरा
शुद्धीज विद्या लता है
पत्रावली के शल सुमार डेकर
गण्डर से कम हो

(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पवेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा